भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4808
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: रायथू बंधु और रायथू भरोसा योजना हेतु सहायता

4808. डा0॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास तेलंगाना में ''रायथू बंधु'' योजना और आंध्र प्रदेश में ''रायथू भरोसा'' की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो किसानों को लाभान्वित करने वाली ऐसी योजनाओं की सहायता न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी, नहीं। ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार पहले ही प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम शुरू कर चुकी है जिसका लक्ष्य कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन देश में सभी भू-जोत धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए सूदखोरों के चंगुल में फसने से बचने और अपने कृषि संबंधी कार्यकलापों को भी जारी रखने के साथ-साथ कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े खर्चों तथा साथ ही घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में कतिपय अपवर्जन उपखंडों के अध्यधीन सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पैंशन योजना को भी मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है क्योंकि बुढ़ापे में उनके पास या तो नाममात्र की अथवा कोई बचत नहीं होती है और बाद में आजीविका न होने पर उन्हें इससे सहायता मिल सकेगी। ये योजनाएं तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं।

****